

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/03/2021

श्री रमनलाल सिंघल ए-90 (बी) रणजीत नगर, भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री रमनलाल सिंघल ए-90 (बी) रणजीत नगर, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2020 प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/49 दिनांक 14.01.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/ 380 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 380 दिनांक 27.01.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र क्रमांक 11 दिनांक 04.01.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि रेस्पोंड ने अपीलांत को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलक्टर, भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर

भरतपुर

